न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2017 / 00275 / 223

1. मृतक भंवरलाल पुत्र मंगा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— रघुनाथ पुत्र भंवरलाल,
   1 / 2— कमला पुत्री भंवरलाल,
   1 / 3— नैनी देवी पुत्री भंवरलाल,
   1 / 4— पारसी पुत्री भंवरलाल,
   1 / 5 —प्रेम पुत्री भंवरलाल,
2. सुशीला पत्नि कैलाश,
3. सुरेश पुत्र कैलाश,
4. मुकेश पुत्र कैलाश जरिये सरंक्षक माता सुशीला,
5. सोनू पुत्र चम्पालाल,
6. रविप्रकाश पुत्र चम्पालाल जरिये सरंक्षक माता रूकमा,
7. पारसमल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7 / 1— विमला पत्नि पारसमल,
   7 / 2— दुर्गा पुत्री पारसमल,
   7 / 3— पिंकी पुत्री पारसमल,
   7 / 4— दिनेश पुत्र पारसमल
8. रूकमा पत्नि चम्पालाल,
   निवासी ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. इन्द्र कंवर पत्नि मधुसुदन,
2. राजेन्द्र पुत्र मधुसुदन,
3. भरतेन्द्र कंवर पुत्री मधुसुदन,
4. गिरवर पुत्र मधुसुदन,
5. शर्मिला पत्नि गिरवर,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
6. लाली (प्रथम) पुत्री चम्पालाल,
7. लाली (द्वितीय) पुत्री चम्पालाल,
8. मंजू पुत्री चम्पालाल,
9. आचुकी पुत्री चम्पालाल,
   निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
10. एस0बी0बी0जे0 शाखा, पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 2.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 95 / 2013.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री तेजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर अवस्थित खसरा नंबर 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120 में वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्य 1 से 13 का 1/3 हिस्सा निहित करता है जिसका आजदिवस तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है । इस कारण आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 से 13 उक्त अविभाजित भूमि के संयुक्त कब्जे काश्त में झगड़ा फसाद करते है जिससे संयुक्त काश्त करना असंभव है। अतः वाद को स्वीकार कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन कराने के आदेश पारित करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 2.6.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष विपक्षीगण/वादीगण द्वारा दिनांक 4.10.2013 को वाद प्रस्तुत किया गया जो दर्ज किया जाकर सम्मन जारी करने के आदेश हुए जिसके पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 8.11.2013 पर पीठासीन अधिकारी बाहर जाने का अंकन कर आगामी पेशी दिनांक 22. 11.2013 पर अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई जबकि आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण पर विधिवत् तामील नहीं हुई थी । यह भी कथन किया कि तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी पारसमल, आचुकी, लाली, रवि, सोनू, रूकमा, मुकेश, सुरेश, सुशिला, हीरादेवी एवं भंवरलाल के नोटिस एक प्रतिवादी सुरेश को करवाये गये है, जिसे विधिवत् तामील नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार अपीलांटस/प्रतिवादीगण की विधिवत् तामील कराये विधिवत् तामील हुए बिना ही अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण प्रतिवादी संख्या 15 के जवाब हेतु विचाराधीन था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.6.2015 की नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 2.6.2015 में ही लेकर प्रकरण का निस्तारण अपीलांटस के विरूद्ध कर दिया गया। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दावा प्रस्तुत होने पर जवाब दावा प्रस्तुत होने के लिए पत्रावली नियत की जाती है उसके पश्चात् पत्रावली वादी व प्रतिवादी के लिए तनकियात हेतु नियत की जाती है तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य आदि कायम कर उसके पश्चात् निर्णय किया जाता है लेकिन अधी0न्याया0 ने जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रकरण में बिना साक्ष्य लिये बिना किसी आधार पर विपक्षीगण का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि दस्तावेजों को बिना प्रदर्शित किए एवं बिना वादी की साक्ष्य लिए वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसके

बावजूद अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर वाद स्वीकार करने में भारी त्रुटि कारित की है । वादीगण/रेस्पो0 ने अपने वादवपत्र में संपूर्ण रकबे के तथ्य को छिपाते हुए संपूर्ण खाता व खसरा नंबर बाबत् वाद प्रस्तुत नहीं कर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत वाद प्रस्तुत किया है । वादीगण ने पुराना रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया तथा समस्त सह–खातेदारों को वाद मे पक्षकार भी नहीं बनाया है न ही ही समस्त खाता व खसरा नंबर का वाद पेश किया है । वादीगण ने अधी0न्याया0 से तथ्य छिपाकर वाद डिक्री करवाया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जाप्ता दीवानी, रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण/अपीलांटस की पीठ पीछे पारित की गई है जो पेटेन्ट इल्लीगल निर्णय व डिक्री की परिभाषा में आती है एवं ऐसे निर्णय को चुनौती दिये जाने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है । प्रार्थीगण ने दिनांक 8.9.2017 को आक्षेपित निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 11.9.2017 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात् नकल लेकर प्रार्थीगण अपने गांव चले गये तथा फीस एवं खर्चे की व्यवस्था कर दिनांक 29.10.2017 को अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिसमें वादीगण/रेस्पो0 का 2/3 हिस्सा तथा अपीलांटस का 1/3 हिस्सा निहित है । वादीगण/रेस्पो0 संयुक्त खातेदारी की आराजियात का विधिक विभाजन कराने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को वाद के सम्मन/नोटिस जारी किये गये थे किन्तु अपीलांटस/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये थे जो विधिसम्मत् आदेश है । अपीलांटस ने अपनी अपील में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि विभाजन की प्राथमिक डिक्री में उसके पक्ष में कम आराजी रखी गई है तथा किस कारण से प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है जिससे अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील प्रार्थीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर यिमाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् बंटवारा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का 1/13 हिस्सा निहित करता है जिसका आज दिवस तक विभाजन नहीं हुआ है । अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य वाद में अंकितानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन किया जावे । अपीलांटस/प्रतिवादीगण का कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 4.10.2013 को वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सम्मन जारी किये गये तत्पश्चात् आगामी नियत पेशी दिनांक 8.11.2013 पर पीठासीन अधिकारी बाहर जाने का अंकन कर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2013 को अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की पुस्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तामील कुनिन्दा ने समस्त प्रतिवादीगणों के नोटिस एक ही प्रतिवादी सुरेश पुत्र कैलाश को करवाई है जिसे विधिसम्मत् तामील नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस को विधिवत् तामील हुए बिना अधी0न्याया0 ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रथम पेशी पर ही अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित व अधिकार निहित हो वहां पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को निर्णित करना चाहिये । किन्तु अधी0न्याया0 उक्त सिद्धांत के विपरीत एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 2.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर